पृष्ठ सं०–.................

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।

U/S 15 OF THE BIHAR TENANT'S HOLDINGS (MAINTENANCE OF RECORDS) ACT, 1973

दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–05 / 2019–20

1. गिरीबाला देवी, पति–कृष्णा महतो, सा०–पापरीदा, पो०–चोकाहातु, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।
2. खीरोदा देवी, पति–कैलाश चन्द्र महतो, सा०–तिलाईपिड़ी, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।
3. कोकिला देवी, पति–प्रयाग चन्द्र महतो, सा०–तिलाईपिड़ी, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची।
4. जानकी देवी, पति–नगेन्द्र नाथ महतो, सा०–पिलीद, थाना–ईचागढ़ जिला–सरायकेला खरसावाँ।.....................अपीलार्थी।

बनाम

1. झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल अधिकारी, सोनाहातु................विपक्षी।

आदेश

31.10.2020

प्रस्तुत वाद में अपीलार्थी ने अंचलाधिकारी, सोनाहातु. के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–252 R27/2011-12 में दिनांक–04.08.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया।

भूमि विवरणी

मौजा	थाना	थाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा
माहील	सोनाहातु	05	166	1100	08 डिसमील

चौहदीः–उ०–हरिनाथ महतो वगैरह द०–नरसिंह महतो, पू०–हाड़ीया महतो वगैरह प०–नीज।

अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस वाद में समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–252 R27/2011-12 में दिनांक–04.08.2011 को पारित आदेश एवं जाँच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदनानुसार–ग्राम माहिल (05) खाता संख्या–166, प्लॉट संख्या–1100 रकवा–0.08ए० (आठ डीसमील) के क्रेता श्री नरोत्तम महतो, पिता–स्व० घासीया महतो हैं। आवेदिका श्रीमति गिरीबाला देवी पति कृष्णा महतो एवं अन्य तीन हैं। आवेदिका ने विक्रेता के उत्तराधिकारी, वंशज होने का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अतएव इसी आधार पर अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण वाद अस्वीकृत की गयी है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के कथनानुसार अपीलार्थीगण उपरोक्त भूमि के क्रेता श्री नरोत्तम महतो, पिता–स्व० घासीया महतो की पुत्रियाँ हैं। इस संबंध में उनके द्वारा वार्ड सदस्य–07 एवं मुखिया, ग्राम पंचायत पंडाडीह, सोनाहातु द्वारा सत्यापित वंशावली प्रस्तुत किया गया एवं अनुरोध किया गया कि अंचल अधिकारी, सोनाहातु को उपरोक्त भूमि का दाखिल खारिज करने हेतु आदेश देने की कृपा की जाए।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, सोनाहातु द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनते हुए उनसे वांछित दस्तावेज प्राप्त कर उनकी जाँच–पड़ताल करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2021.08.24 11:17:32 +05:30
Location: 10.93.79.7

निम्न न्यायालय को इस आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

1138(ii)/ज्ञ
30.12.2020

8.3.10   8.3.10

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।   **भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,बुण्डू(राँची)।**